

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार नवलगढ जिला झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी - कपिल कुमार (आर.टी.एस.)

प्रकरण संख्या : 03/2012

अन्तर्गत धारा 9) क सपटित धारा 91 राजस्थान भू-राज. अधिनियम 1956  
सरकार बनाम 1. श्री सरदारसिंह पुत्र नागरमल जाति जाट निवासी मुकुन्दगढ  
तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू।

-: निर्णय :-

दिनांक: 05.03.2020

पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का, मुकुन्दगढ कि रिपोर्ट अनुसार कस्बा मुकुन्दगढ स्थित भूमि खसरा 420 रकबा 3.87 है, किस्म वारानी प्रथम की खातेदारी श्री सरदारसिंह पुत्र नागरमल जाति माली निवासी मुकुन्दगढ तहसील नवलगढ के नाम दर्ज रिकॉर्ड हैं। उक्त भूमि में खातेदार श्री सरदारसिंह पुत्र नागरमल जाति माली निवासी मुकुन्दगढ द्वारा 3.87 है, भूमि पर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति बिना ही प्लानिंग कर एवं सड़क निर्माण कर कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जा रहा है जो कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ काम में ले लिया गया है। प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 क सपटित धारा 91 के तहत दर्ज कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। सम्यक तामिल पश्चात अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का पत्र क्रमांक राजस्व/2016/280 दिनांक 25.02.2016 द्वारा मौका रिपोर्ट चाही गई जिसमें पटवारी हल्का में बताया कि ख.न. 420 रकबा 3.87 है, किस्म वारानी प्रथम में आंशिक रकबा पर ग्रेवल सड़क डाल रखी है।

पटवारी हल्का द्वारा प्राप्त रिपोर्ट, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया जिसमें ग्राम मुकुन्दगढ स्थित भूमि खसरा 420 रकबा 3.87 हैक्टर किस्म वारानी प्रथम कि खातेदारी श्री सरदारसिंह पुत्र नागरमल जाति माली निवासी मुकुन्दगढ तहसील नवलगढ के नाम दर्ज रिकॉर्ड है जो नगर पालिका मुकुन्दगढ के पैराफेरी क्षेत्र के अधीन आति है अतः नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के पत्रांक प.3(313)नवि/3/2011 दिनांक 11.02.2020 की पालना में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की तहसीलदार की शक्तियों का प्रत्यायोजन प्राधिकृत अधिकारियों को किया गया है। जिससे दिनांक 17.06.1999 के बाद के जिन प्रकरणों में मूल खातेदार कृषि भूमि के रूपान्तरण की कार्यवाही के लिये आवेदन नही करता है और मौके पर खातेदार ने या उसके हस्तान्तरिता/हस्तान्तरितियों ने भूमि का गैर कृषिक उपयोग कर लिया है, ऐसे प्रकरणों में प्राधिकृत अधिकारी धारा 91 सपटित धारा 90-क के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये यथोचित ओदश पारित करेगा। अतः इस कार्यालय में विचाराधीन प्रकरण मु0न0 03/2012 रा0ले0 रे0 एक्ट 1956 की धारा 90ए सपटित 91 की पत्रावली नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के पत्रांक प.3 (313) नवि/3/2011 दिनांक 11.02.2020 की पालना करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी नगर पालिका नवलगढ को हस्तान्तरित की जाकर दर्ज रजिस्टर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
तहसीलदार नवलगढ